Toppersnotes
Unleash the topper in you

BNSS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए

भाग - 3

SIERRA INNOVATIONS

INDEX

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)		
1.	निरस्त अधिनियम के साथ बीएनएसएस (BNSS) की संगत धारा तालिका	1
2.	मामलों की सूची [BNSS]	64
3.	BNSS, 2023 की पृष्ठभूमि (Background of BNSS, 2023)	70
4.	**अध्याय I :** धारा 1-5 [प्रारंभिक (Preliminary)]	72
5.	**अध्याय II :** धारा 6-20 [आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का गठन (Constitution of Criminal Courts and Offices)]	81
6.	**अध्याय III :** धारा 21-29 [न्यायालयों की शक्ति (Power of Courts)]	106
7.	**अध्याय IV :** धारा 30-62 [पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ तथा मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता] धारा 30: पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ	111
8.	**अध्याय VI :** धारा 63-93 [उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं (Processes to Compel Appearance)	129
9.	**अध्याय VII :** धारा 94-110 [चीजों को पेश (Production) करने के लिए विवश (Compel) करने के लिए आदेशिकाएं (Processes)]	145
10.	**अध्याय VIII :** धारा 111-124 [कुछ मामलों में सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्थाएं (Reciprocal Arrangements) और संपत्ति की कुर्की (Attachment) और समपहरण (Forfeiture) की प्रक्रिया]	153
11.	**अध्याय IX :** धारा 125-143 [परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार (Good Behaviour) के लिए प्रतिभूति (Security)]	154
12.	**अध्याय X :** धारा 144-147 [पत्नियों, संतानों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश]	159
13.	**अध्याय XI :** धारा 148-167 [लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना (Maintenance of Public Order and Tranquility)]	165
14.	**अध्याय XII :** धारा 168-172 [पुलिस की निवारक कार्यवाही (Preventive Action of the Police)]	172
15.	**अध्याय XIII :** धारा 173-196 [पुलिस को इत्तिला (Information) और अन्वेषण (Investigate) करने की उनकी शक्तियाँ]	173

16.	**अध्याय XIV :** धारा 197-209 [जांच और विचारणों में आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Criminal Courts in Inquiries and Trials)]	**210**
17.	**अध्याय XV :** धारा 210-222 [कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें (Conditions Requisite for Initiation of Proceedings)]	**214**
18.	**अध्याय XVI :** धारा 223-226 [मजिस्ट्रेटों से परिवाद (Complaints to Magistrates)]	**224**
19.	**अध्याय XVII :** धारा 227-233 [मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ (Commencement of Proceedings Before Magistrates)]	**226**
20.	**अध्याय XVIII :** धारा 234-247 [आरोप (The Charge)]	**229**
21.	**अध्याय XIX :** धारा 248-260 [सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण (Trial Before a Court of Session)]	**237**
22.	**अध्याय XX :** धारा 261-273 [मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट-मामलों का विचारण (Trial of Warrant-Cases by Magistrates)]	**241**
23.	**अध्याय XXI :** धारा 274-282 [मजिस्ट्रेटों द्वारा समन-मामलों का विचारण (Trial of Summons-Cases by Magistrates)]	**245**
24.	**अध्याय XXII :** धारा 283-288 [संक्षिप्त विचारण (Summary Trials)]	**248**
25.	**अध्याय XXIII :** धारा 289-300 [अभिवाक्-सौदेबाजी (Plea Bargaining)]	**250**
26.	**अध्याय XXIV :** धारा 301-306 [कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी (Attendance of Persons Confined or Detained in Prisons)]	**253**
27.	**अध्याय XXV :** धारा 307-336 [जांचों और विचारणों में साक्ष्य (Evidence in Inquiries and Trials)]	**254**
28.	**अध्याय XXVI :** धारा 337-366 [जांच और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध (General Provisions as to Inquiries and Trials)]	**263**
29.	**अध्याय XXVII :** धारा 367-378 [अस्वस्थ चित्त के अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध (Provisions as to Accused Persons of Unsound Mind)]	**279**
30.	**अध्याय XXVIII :** धारा 379-391 [न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में उपबंध (Provisions as to Offences Affecting the Administration of Justice)]	**283**
31.	**अध्याय XXIX :** धारा 392-406 [निर्णय (The Judgment)]	**285**

32.	**अध्याय XXX :** धारा 407-412 [मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना (Submission of Death Sentences for Confirmation)]	**296**
33.	**अध्याय XXXI :** धारा 413-435 [अपीलें (Appeals)]	**298**
34.	**अध्याय XXXII :** धारा 436-445 [निर्देश और पुनरीक्षण (Reference and Revision)]	**307**
35.	**अध्याय XXXIII :** धारा 446-452 [दांडिक मामलों का अंतरण (Transfer of Criminal Cases)]	**311**
36.	**अध्याय XXXIV :** धारा 453-477 [दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण (Execution, Suspension, Remission and Commutation of Sentences)]	**313**
37.	**अध्याय XXXV :** धारा 478-496 [जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध (Provisions as to Bail and Bonds)]	**324**
38.	**अध्याय XXXVI :** धारा 497-505 [संपत्ति का व्ययन (Disposal of Property)]	**336**
39.	**अध्याय XXXVII :** धारा 506-512 [अनियमित कार्यवाहियाँ (Irregular Proceedings)]	**338**
40.	**अध्याय XXXVIII :** धारा 513-519 [कतिपय अपराधों का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा (Limitation for Taking Cognizance of Certain Offences)]	**341**
41.	**अध्याय XXXIX :** धारा 520-531 [प्रकीर्ण (Miscellaneous)]	**343**

1 CHAPTER The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

निरस्त अधिनियम के साथ बीएनएसएस (BNSS) की संगत धारा तालिका

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
अध्याय I प्रारंभिक (Preliminary)	**अध्याय I प्रारंभिक (Preliminary)**
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। (Short title, extent and commencement)	1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। (Short title, extent and commencement)
2. परिभाषाएँ। (Definitions)	2. परिभाषाएँ। (Definitions)
3. निर्देशों का अर्थान्वयन। (Construction of references)	3. निर्देशों का अर्थान्वयन। (Construction of references)
4. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। (Trial of offences)	4. भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। (Trial of offences)
5. व्यावृत्ति। (Saving)	5. व्यावृत्ति। (Saving)
अध्याय II दण्ड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन (CONSTITUTION OF CRIMINAL COURTS AND OFFICES)	**अध्याय II दण्ड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन (CONSTITUTION OF CRIMINAL COURTS AND OFFICES)**
6. दण्ड न्यायालयों के वर्ग। (Classes of Criminal Courts)	6. दण्ड न्यायालयों के वर्ग। (Classes of Criminal Courts)
7. प्रादेशिक खण्ड। (Territorial divisions)	7. प्रादेशिक खण्ड। (Territorial divisions)
हटा दिया गया। (Deleted)	8. महानगर क्षेत्र। (Metropolitan areas)
8. सेशन न्यायालय। (Court of Session)	9. सेशन न्यायालय। (Court of Session)
हटा दिया गया। (Deleted)	10. सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। (Subordination of Assistant Sessions Judges)
9. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। (Courts of Judicial Magistrates)	11. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। (Courts of Judicial Magistrates)

10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि। (Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc.)	12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि। (Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc.)
11. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। (Special Judicial Magistrates)	13. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। (Special Judicial Magistrates)
12. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। (Local Jurisdiction of Judicial Magistrates)	14. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। (Local jurisdiction of Judicial Magistrates)
13. न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। (Subordination of Judicial Magistrates)	15. न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। (Subordination of Judicial Magistrates)
हटा दिया गया। (Deleted)	16. महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। (Courts of Metropolitan Magistrates)
हटा दिया गया। (Deleted)	17. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। (Chief Metropolitan Magistrate and Additional Chief Metropolitan Magistrate)
हटा दिया गया। (Deleted)	18. विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। (Special Metropolitan Magistrates)
हटा दिया गया। (Deleted)	19. महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। (Subordination of Metropolitan Magistrates)
14. कार्यपालक मजिस्ट्रेट। (Executive Magistrates)	20. कार्यपालक मजिस्ट्रेट। (Executive Magistrates)
15. विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। (Special Executive Magistrates)	21. विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। (Special Executive Magistrates)
16. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। (Local Jurisdiction of Executive Magistrates)	22. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। (Local Jurisdiction of Executive Magistrates)

17. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। (Subordination of Executive Magistrates)	23. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। (Subordination of Executive Magistrates)
18. लोक अभियोजक। (Public Prosecutors)	24. लोक अभियोजक। (Public Prosecutors)
19. सहायक लोक अभियोजक। (Assistant Public Prosecutors)	25. सहायक लोक अभियोजक। (Assistant Public prosecutors)
20. अभियोजन निदेशालय। (Directorate of Prosecution)	25A. अभियोजन निदेशालय। (Directorate of Prosecution)
अध्याय III न्यायालयों की शक्ति (POWER OF COURTS)	**अध्याय III न्यायालयों की शक्ति (POWER OF COURTS)**
21. न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं। (Courts by which offences are triable)	26. न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं। (Courts by which offences are triable)
हटा दिया गया। (Deleted)	27. किशोरों के मामले में अधिकारिता। (Jurisdiction in the case of juveniles)
22. दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकते हैं। (Sentences which High Courts and Sessions Judges may pass)	28. दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकते हैं। (Sentences which High Courts and Sessions Judges may pass)
23. दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। (Sentences which Magistrates may pass)	29. दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। (Sentences which Magistrates may pass)
24. जुर्माना देने में व्यतिक्रम (default) होने पर कारावास का दण्डादेश। (Sentence of imprisonment in default of fine)	30. जुर्माना देने में व्यतिक्रम (default) होने पर कारावास का दण्डादेश। (Sentence of imprisonment in default of fine)
25. एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामलों में दण्डादेश। (Sentence in cases of conviction of several offences at one trial)	31. एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामलों में दण्डादेश। (Sentence in cases of conviction of several offences at one trial)

26. शक्तियाँ प्रदान करने की रीति। (Mode of conferring powers)	32. शक्तियाँ प्रदान करने की रीति। (Mode of conferring powers)
27. नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। (Powers of officers appointed)	33. नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। (Powers of officers appointed)
28. शक्तियों का वापस लिया जाना। (Withdrawal of powers)	34. शक्तियों का वापस लिया जाना। (Withdrawal of powers)
29. न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों (successors-in-office) द्वारा प्रयोग किया जा सकना। (Powers of Judges and Magistrates exercisable by their successors-in-office)	35. न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों (successors-in-office) द्वारा प्रयोग किया जा सकना। (Powers of Judges and Magistrates exercisable by their successors-inoffice)
अध्याय IV पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस को सहायता (POWERS OF SUPERIOR OFFICERS OF POLICE AND AID TO THE MAGISTRATES AND THE POLICE)	**अध्याय IV क.-पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ (POWERS OF SUPERIOR OFFICERS OF POLICE) ख.-मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता (AID TO THE MAGISTRATES AND THE POLICE)**
30. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ। (Powers of superior officers of police)	36. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ। (Powers of superior officers of police)
31. जनता कब मजिस्ट्रेटों और पुलिस की सहायता करेगी। (Public when to assist Magistrates and police)	37. जनता कब मजिस्ट्रेटों और पुलिस की सहायता करेगी। (Public when to assist Magistrates and police)
32. वारन्ट का निष्पादन (executing) करने वाले पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को सहायता। (Aid to person, other than police officer, executing warrant)	38. वारन्ट का निष्पादन (executing) करने वाले पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को सहायता। (Aid to person, other than police officer, executing warrant)
33. कतिपय अपराधों की इत्तिला (information) का जनता द्वारा दिया जाना। (Public to give information of certain offences)	39. कतिपय अपराधों की इत्तिला (information) का जनता द्वारा दिया जाना। (Public to give information of certain offences)

34. ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। (Duty of officers employed in connection with affairs of a village to make certain report)	40. ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। (Duty of officers employed in connection with the affairs of a village to make certain report)
अध्याय V व्यक्तियों की गिरफ्तारी (ARREST OF PERSONS)	**अध्याय V व्यक्तियों की गिरफ्तारी (ARREST OF PERSONS)**
35. पुलिस वारन्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। (When police may arrest without warrant)	41. पुलिस वारन्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। (When police may arrest without warrant)
35(1)	41(1)
35(2)	41(2)
35(3), 35(4), 35(5), 35(6)	41A. पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। (Notice of appearance before police officer)
35(7)	नई उप-धारा। (New Sub-Section)
36. गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। (Procedure of arrest and duties of officer making arrest)	41B. गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। (Procedure of arrest and duties of officer making arrest)
37. पदाभिहित पुलिस अधिकारी। (Designated police officer)	41C. जिलों में नियंत्रण कक्ष। (Control room at districts)
38. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। (Right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation)	41D. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। (Right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation)
39. नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। (Arrest on refusal to give name and residence)	42. नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। (Arrest on refusal to give name and residence)

40. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। (Arrest by private person and procedure on such arrest)	43. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। (Arrest by private person and procedure on such arrest)
41. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। (Arrest by Magistrate)	44. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। (Arrest by Magistrate)
42. सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण। (Protection of members of Armed Forces from arrest)	45. सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण। (Protection of members of the Armed Forces from arrest)
43. गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। (Arrest how made)	46. गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। (Arrest how made)
43(1)	46(1)
43(2)	46(2)
43(3)	नई उप-धारा। (New Sub-Section)
43(4)	46(3)
43(5)	46(4)
44. उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। (Search of place entered by person sought to be arrested)	47. उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। (Search of place entered by person sought to be arrested)
45. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। (Pursuit of offenders into other jurisdictions)	48. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। (Pursuit of offenders into other jurisdictions)
46. अनावश्यक अवरोध न करना। (No unnecessary restraint)	49. अनावश्यक अवरोध न करना। (No unnecessary restraint)
47. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना। (Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail)	50. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना। (Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail)

मामलों की सूची [BNSS]

I. FIR और संज्ञान (FIR & Cognizance)

1. Lalita Kumari v. State of UP (2014) SC

- ✓ नियम (Rule): यदि सूचना से एक संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का पता चलता है तो पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी। कुछ मामलों (जैसे वैवाहिक (matrimonial), वाणिज्यिक (commercial)) में प्रारंभिक जांच (preliminary inquiry) की अनुमति है।

2. State of Haryana v. Bhajan Lal (1992) SC

- ✓ नियम (Rule): धारा 482 CrPC [528 BNSS] के तहत FIR को रद्द (quash) करने के लिए 7 आधार (7 grounds) निर्धारित किए।

3. T.T. Antony v. State of Kerala (2001) SC

- ✓ नियम (Rule): एक ही घटना पर कोई दूसरी FIR (second FIR) नहीं हो सकती। बाद की FIR को रद्द (quash) किया जा सकता है।

4. Chandran Ratnaswami v. K.C. Palanisamy (2013)

- ✓ नियम (Rule): FIR को केवल इसलिए रद्द (quash) नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देरी से दर्ज की गई है। देरी विचार (consideration) के लिए केवल एक कारक (factor) है।

5. Manju Surana v. Sunil Arora (2018) SC

- ✓ नियम (Rule): वाणिज्यिक विवादों (commercial disputes) में भी FIR को रद्द (quashing) करना स्वचालित (automatic) नहीं है, यदि आरोपों (allegations) से एक आपराधिक अपराध (criminal offence) का पता चलता है।

II. गिरफ्तारी, जमानत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Arrest, Bail & Personal Liberty)

6. Joginder Kumar v. State of UP (1994) SC

- ✓ नियम (Rule): गिरफ्तारी नियमित (routine) नहीं हो सकती। पुलिस को कारण बताने होंगे।

7. DK Basu v. State of West Bengal (1997) SC

- ✓ नियम (Rule): हिरासत में यातना (custodial torture) को रोकने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत पर दिशानिर्देश (guidelines on arrest and detention) निर्धारित किए।

8. Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) SC

- ✓ नियम (Rule): पुलिस को Section 498A IPC [85 BNS] जैसे मामलों में स्वचालित रूप से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए (must not arrest automatically)।

9. Gudikanti Narasimhulu v. Public Prosecutor (1978) SC

- ✓ नियम (Rule): जमानत नियम है, कारावास अपवाद है (Bail is the rule, jail is the exception)।

10. Satender Kumar Antil v. CBI (2021) SC

- ✓ नियम (Rule): 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तारी और जमानत (arrest and bail) पर व्यापक दिशानिर्देश (comprehensive guidelines) जारी किए।

III. तलाशी, ज़ब्ती और जांच (Search, Seizure, & Investigation)

11. State of Punjab v. Baldev Singh (1999) SC

- ✓ नियम (Rule): व्यक्ति को यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे NDPS Act के तहत एक राजपत्रित अधिकारी (gazetted officer) के समक्ष तलाशी करवाने का अधिकार है। यह CrPC के निष्पक्ष जांच (fair investigation) के सिद्धांतों को प्रभावित करता है।

12. Pooran Mal v. Director of Inspection (1974) SC

- ✓ नियम (Rule): अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य स्वीकार्य (admissible) है, भले ही यह मौलिक अधिकारों (fundamental rights) का उल्लंघन कर सकता हो।

13. Hardeep Singh v. State of Punjab (2014) SC

- ✓ नियम (Rule): यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत सामने आते हैं तो अदालत धारा 319 CRPC [358 BNSS] के तहत स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर अतिरिक्त अभियुक्तों को तलब (summon additional accused) कर सकती है।

14. Union of India v. W.N. Chadha (1993) SC

- ✓ नियम (Rule): जांच के दौरान, आरोप पत्र (chargesheet) दाखिल करने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है (has no right to be heard)।

IV. अपराधों का शमन (Compounding of Offences)

15. Gian Singh v. State of Punjab (2012) SC

- ✓ नियम (Rule): यदि पक्षकार समझौता कर लेते हैं तो उच्च न्यायालय धारा 482 CRPC [528 BNSS] के तहत गैर-शमनीय अपराधों (non-compoundable offences) को भी रद्द (quash) कर सकता है, सिवाय जघन्य अपराधों (heinous crimes) के।

16. Narinder Singh v. State of Punjab (2014) SC

- ✓ नियम (Rule): समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द (quashing) करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए।

V. उन्मोचन, आरोप तय करना और रद्द करना (Discharge, Framing of Charge, Quashment)

17. State of Bihar v. Ramesh Singh (1977) SC

- ✓ नियम (Rule): आरोप तय करने के चरण में, अदालत केवल यह देखती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला (prima facie case) बनता है। सबूतों का विस्तृत मूल्यांकन (detailed evaluation) नहीं किया जाता है।

18. M.E. Shivalingamurthy v. CBI (2020) SC

- ✓ नियम (Rule): धारा 227 CRPC [250 BNSS] के तहत उन्मोचन (discharge) के लिए, अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है (no sufficient ground for proceeding)।

19. R.P. Kapur v. State of Punjab (1960) SC

- ✓ नियम (Rule): कार्यवाही को रद्द (quashing) करने के लिए आधार निर्धारित किए:
  1. कोई अपराध नहीं बनता (No offence disclosed)।
  2. कानूनी रोक (Legal bar) है।
  3. आरोप बेतुके (Absurd allegations) हैं।

VI. बयान, संस्वीकृति और साक्ष्य (Statements, Confessions & Evidence)

20. Selvi v. State of Karnataka (2010) SC

- ✓ नियम (Rule): नारको-एनालिसिस (Narco-analysis) और पॉलीग्राफ (polygraph) परीक्षण अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हैं (violate Article 20(3))।

21. State of NCT of Delhi v. Navjot Sandhu (Parliament Attack Case) (2005) SC

- ✓ नियम (Rule): भले ही POTA के तहत की गई संस्वीकृति (confession) अस्वीकार्य (inadmissible) हो, CrPC के तहत अन्य सबूतों पर भरोसा किया जा सकता है।

VII. विचारण और त्वरित विचारण (Trial & Speedy Trial)

22. Hussainara Khatoon v. State of Bihar (1979) SC

- ✓ नियम (Rule): त्वरित सुनवाई (Speedy trial) एक मौलिक अधिकार (fundamental right) है।

23. State of Punjab v. Ajaib Singh (2004) SC

- ✓ नियम (Rule): केवल देरी से ही मुकदमा रद्द (quash) नहीं हो जाता, जब तक कि इससे वास्तविक पूर्वाग्रह (real prejudice) न हो।

24. Zahira Sheikh v. State of Gujarat (2004) SC

- ✓ नियम (Rule): निष्पक्ष सुनवाई (Fair trial) में शामिल हैं:
  1. गवाहों के लिए सुरक्षित माहौल (Safe atmosphere)।
  2. निष्पक्ष अभियोजन (Unbiased prosecution)।

VIII. शमन और रद्द करना (Compounding & Quashing)

25. B.S. Joshi v. State of Haryana (2003) SC

- ✓ नियम (Rule): समझौते के कारण 498A मामलों को रद्द (quashing) करने की अनुमति दी।

26. Jitendra Raghuvanshi v. Babita Raghuvanshi (2013) SC

- ✓ नियम (Rule): वैवाहिक विवादों (matrimonial disputes) को रद्द (quashing) करने के लिए धारा 482 CRPC [528 BNSS] के तहत शक्ति की पुष्टि की।

IX. गंभीर अपराधों में जमानत (Bail in Serious Offences)

27. P. Chidambaram v. Directorate of Enforcement (2019) SC

- ✓ नियम (Rule): आर्थिक अपराध (Economic offences) गंभीर हैं, लेकिन जमानत को यंत्रवत् (mechanically) अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

28. Nikesh Tarachand Shah v. Union of India (2017) SC

- ✓ नियम (Rule): अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के कारण PMLA की कुछ जमानत शर्तों (bail conditions) को रद्द (struck down) कर दिया गया।

X. क्षेत्राधिकार और क्षेत्रीय सीमाएं (Jurisdiction & Territorial Limits)

29. Bhura Ram v. State of Rajasthan (2008) SC

- ✓ नियम (Rule): धारा 179 CrPC/ 199 BNSS उस स्थान पर मुकदमे (trial) की अनुमति देती है जहाँ अपराध का कोई हिस्सा हुआ हो।

30. Navinchandra N. Majithia v. State of Meghalaya (2000) SC

- ✓ नियम (Rule): उच्च न्यायालय धारा 482 CRPC [528 BNSS] के तहत क्षेत्राधिकार (jurisdiction) का प्रयोग कर सकता है, भले ही अपराध उसके क्षेत्र के बाहर हुआ हो, यदि वाद कारण (cause of action) का कोई हिस्सा वहां उत्पन्न होता है।

XI. दोषमुक्ति और अपील (Acquittal & Appeal)

31. Chandrappa v. State of Karnataka (2007) SC

- ✓ नियम (Rule): अपीलीय न्यायालय (Appellate court) दोषमुक्ति (acquittal) को पलट सकता है यदि निर्णय विकृत (perverse) हो।

32. Banwari Lal Jhunjhunwala v. State of Maharashtra (1963) SC

- ✓ नियम (Rule): पुलिस मामले में दोषमुक्ति (acquittal) के खिलाफ शिकायतकर्ता (complainant) को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है।

XII. समझौता और रद्द करना (Compromise & Quashing)

33. State of M.P. v. Laxmi Narayan (2019) SC

- ✓ नियम (Rule): गैर-शमनीय अपराधों (non-compoundable offences) को रद्द (quashing) करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए।

XIII. साक्ष्य दर्ज करना (Recording of Evidence)

34. State of Karnataka v. Shivanna (2014) SC

- ✓ नियम (Rule): अदालतों को बलात्कार के मामलों में पीड़िता का बयान तुरंत (immediately) दर्ज करना चाहिए।

35. State of Maharashtra v. Dr. Praful B. Desai (2003) SC

- ✓ नियम (Rule): वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करना वैध (valid) है।

XIV. लोक सेवकों को संरक्षण (Protection to Public Servants)

36. Hari Ram Singh v. Emperor (1939) SC

- ✓ नियम (Rule): धारा 197 CRPC [218 BNSS] के तहत मंजूरी (Sanction) केवल तभी आवश्यक है जब कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन (discharge of official duty) में किया गया हो।

37. Prakash Singh Badal v. State of Punjab (2007) SC

- ✓ नियम (Rule): व्यक्तिगत क्षमता (personal capacity) में किए गए कार्यों के लिए मंजूरी (Sanction) की आवश्यकता नहीं है।

XV. पुनरीक्षण और धारा 482 की शक्तियाँ (Revision & 482 Powers)

38. Madhavrao Scindia v. Sambhajirao Angre (1988) SC

- ✓ नियम (Rule): यदि दोषसिद्धि (conviction) की संभावना कम है, तो कार्यवाही को रद्द (quash) किया जा सकता है।

39. Krishna Lal Chawla v. State of UP (2021) SC

- ✓ नियम (Rule): यदि CrPC द्वारा अनुमति नहीं है तो शिकायतकर्ता (complainant) पुनरीक्षण (revision) दाखिल नहीं कर सकता है।

XVI. अन्य मामले (Other cases)

40. Satish Ragde v. State of Maharashtra (2021) SC

- ✓ नियम (Rule): कपड़ों के ऊपर से निजी अंगों (private parts) को छूना POCSO के तहत यौन हमला (sexual assault) है।

41. In Re: Contagion of COVID-19 in Prisons (2020) SC

- ✓ नियम (Rule): महामारी (pandemic) के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को अंतरिम जमानत (interim bail) पर रिहा करने का आदेश दिया।

42. Joseph Shine v. Union of India (2018) SC

- ✓ नियम (Rule): यद्यपि मुख्य रूप से IPC से संबंधित है, यह CrPC को प्रभावित करता है—व्यभिचार (Adultery) अब अपराध नहीं है → CrPC के तहत कोई आपराधिक मुकदमा (criminal trial) नहीं होगा।

43. SG Vombatkere v. Union of India (2023) SC

- ✓ नियम (Rule): CrPC को प्रभावित करता है—राजद्रोह (Sedition) के मुकदमों पर रोक लगा दी गई, जिससे CrPC के तहत संज्ञान (cognizance) और मुकदमों पर असर पड़ा।

44. Shilpa Mittal v. State of NCT Delhi (2020) SC

- ✓ नियम (Rule): जघन्य अपराध (heinous offences) करने वाले बच्चों पर कुछ परिस्थितियों में वयस्कों (adults) के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है, जो CrPC के मुकदमों को प्रभावित करता है।

45. Sushila Aggarwal v. State of NCT of Delhi (2020) SC

- ✓ नियम (Rule): अग्रिम जमानत (anticipatory bail) पर कोई समय सीमा (time limit) नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि यह उचित न हो।

46. C.B.I. v. Anupam J. Kulkarni (1992) SC

- ✓ नियम (Rule): पुलिस रिमांड (Police remand) केवल अधिकतम 15 दिनों (15 days max) के लिए हो सकती है। उसके बाद न्यायिक हिरासत (judicial custody) होगी।

47. Rajesh Sharma v. State of UP (2017) SC

- ✓ नियम (Rule): 498A IPC/85 BNS मामलों में गिरफ्तारी से पहले जांच (scrutiny) का निर्देश दिया → CrPC की गिरफ्तारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है।

48. Sanjay Chandra v. CBI (2011) SC

- ✓ नियम (Rule): जमानत दी जानी चाहिए, जब तक कि सबूतों से छेड़छाड़ (tampering) या भागने का खतरा (flight risk) का पता न चले।

49. Pooja Pal v. Union of India (2016) SC

- ✓ नियम (Rule): आरोप पत्र (chargesheet) दाखिल होने के बाद भी अदालतें CrPC/BNSS के तहत आगे की जांच (further investigation) या पुन: जांच (reinvestigation) का आदेश दे सकती हैं।

BNSS, 2023 की पृष्ठभूमि (Background of BNSS, 2023)

1. **आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता (Need for Reform in Criminal Justice System)**
   - ✓ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) 50 वर्षों से लागू थी।
   - ✓ यह पुराने ब्रिटिश औपनिवेशिक-युग (colonial-era) के कानूनों पर आधारित थी, जिसमें 1898 का CrPC भी शामिल था।
   - ✓ समय के साथ, भारत का सामाजिक, तकनीकी और कानूनी वातावरण (environment) काफी बदल गया।
   - ✓ मौजूदा CrPC पुराना (outdated), जटिल (complex) था और न्याय वितरण (justice delivery) में देरी का कारण बनता था।
2. **नए कानून का दृष्टिकोण: भारतीयकृत, सरलीकृत, डिजिटलीकृत (Vision for New Law: Indianized, Simplified, Digitized) भारत सरकार एक आधुनिक, नागरिक-अनुकूल (citizen-friendly), और प्रौद्योगिकी-संचालित (technology-driven) दंड प्रक्रिया संहिता बनाना चाहती थी जो:**
   - ✓ पीड़ितों के अधिकारों को प्राथमिकता (prioritizes) दे,
   - ✓ त्वरित जांच (speedy investigation) और विचारण (trial) सुनिश्चित करे,
   - ✓ e-FIR, वीडियो ट्रायल (video trials), और इलेक्ट्रॉनिक समन (electronic summons) जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करे,
   - ✓ औपनिवेशिक शब्दावली (colonial terminology) और प्रक्रियाओं को हटाए,
   - ✓ जवाबदेही (accountability) के साथ पुलिस और न्यायपालिका को सशक्त बनाए।
3. **विधि आयोग की रिपोर्टें (Law Commission's Reports)**
   - ✓ भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) ने दशकों से कई रिपोर्टों (विशेषकर 154वीं और 239वीं रिपोर्ट) में आपराधिक कानूनों, विशेष रूप से CrPC में व्यापक सुधार (comprehensive reform) की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
   - ✓ इन रिपोर्टों में जोर दिया गया:
     - त्वरित न्याय (Speedy justice),
     - संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण (Protection of constitutional rights),
     - सरलीकृत प्रक्रियाएं (Simplified procedures),
     - पीड़ित मुआवजा और भागीदारी (Victim compensation and participation)।
4. **समितियां और परामर्श (Committees and Consultations)**
   - ✓ गृह मंत्रालय (MHA) के तहत 2020 में आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए एक समिति (Committee for Reforms in Criminal Laws) का गठन किया गया, जिसमें शामिल थे:
     - कानूनी विशेषज्ञ (Legal experts),
     - न्यायाधीश (Judges),

- शिक्षाविद (Academics), और
- बार और बेंच के हितधारक (Stakeholders from the bar and bench)।

✓ समिति ने राष्ट्रव्यापी परामर्श (nationwide consultations), वेबिनार आयोजित किए और जनता व कानूनी समुदाय से प्रतिक्रिया (feedback) प्राप्त की।

5. BNSS का परिचय (Introduction of BNSS)

✓ 11 अगस्त 2023 को, सरकार ने लोकसभा में तीन नए विधेयक (bills) पेश किए:

- Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 – IPC, 1860 को प्रतिस्थापित (replaces) करता है
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 – CrPC, 1973 को प्रतिस्थापित (replaces) करता है
- Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 – Indian Evidence Act, 1872 को प्रतिस्थापित (replaces) करता है

✓ इनका उद्देश्य भारतीय आपराधिक कानूनों को गैर-औपनिवेशिक (decolonize) बनाना और उन्हें नागरिक-केंद्रित (citizen-centric) बनाना है।

6. पारित और अधिनियमन (Passage and Enactment)

✓ विधेयकों को दिसंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।

✓ 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति (assent) प्राप्त हुई।

✓ ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने हैं (सरकारी अधिसूचना के अनुसार)।

7. BNSS, 2023 के उद्देश्य (Objectives of BNSS, 2023)

✓ नागरिक प्रथम दृष्टिकोण (Citizen first approach): पीड़ित-केंद्रित प्रक्रिया (victim-centric process)

✓ त्वरित जांच (Speedy investigation): आरोप पत्र (chargesheet) और मुकदमों के लिए समय-सीमा तय

✓ प्रौद्योगिकी का उपयोग (Use of technology): e-FIR, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing), डिजिटल रिकॉर्ड (digital records)

✓ पुलिस की जवाबदेही (Accountability of police): शून्य FIR (Zero FIR), गंभीर अपराधों में अनिवार्य फोरेंसिक जांच (mandatory forensic investigation)

✓ सरलीकृत प्रक्रियाएं (Simplified procedures): देरी में कमी, मुकदमे के चरणों में अधिक स्पष्टता

✓ औपनिवेशिक विरासत को हटाना (Removal of colonial legacy): भारतीय नामों, मूल्यों और संवैधानिक लोकाचार (constitutional ethos) का उपयोग।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

अधिनियम संख्या 46, 2023

अधिनियमन की तिथि: 25 दिसंबर, 2023

लागू होने की तिथि: 1 जुलाई, 2024

आपराधिक प्रक्रिया (Criminal Procedure) से संबंधित कानून को समेकित (consolidate) और संशोधित (amend) करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है:—

अध्याय I

धारा 1-5 [प्रारंभिक (Preliminary)]

धारा 1: संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (Short title, extent, and commencement)

विस्तार (Extent):

- यह संहिता, अध्याय IX, XI, और XII (CrPC के अध्याय VII, X, और XI) को छोड़कर, नागालैंड और कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं होती है।
- राज्य सरकार एक अधिसूचना (notification) के माध्यम से, यदि आवश्यक हो तो संशोधनों (modifications) के साथ, इसे उन क्षेत्रों में लागू करने के लिए सशक्त (empowered) है।

धारा 2: परिभाषाएँ (Definitions)

खंड (a): काव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन (Audio-video electronic)

इसका तात्पर्य आपराधिक मामलों में कुछ आधिकारिक काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, CCTV कैमरे, वेबकैम, आदि) का उपयोग करने से है। इसमें शामिल हैं:

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video conferencing)** – उदाहरण के लिए, जब कोई गवाह या अभियुक्त व्यक्ति वीडियो कॉल के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होता है।
2. **रिकॉर्डिंग (Recording):**
   - ✓ जब पुलिस किसी संदिग्ध की पहचान (identifying) कर रही हो,
   - ✓ जब वे तलाशी (search) या ज़ब्ती (seizure) कर रहे हों,
   - ✓ जब वे सबूत इकट्ठा कर रहे हों — इन सभी कार्यों को वीडियो या ऑडियो में रिकॉर्ड किया जा सकता है।
3. **इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचार भेजना**, जैसे संदेश (messages), ईमेल (emails), या वीडियो रिकॉर्डिंग।

खंड (b): जमानत (Bail)

जमानत का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई जो किसी अपराध के लिए गिरफ्तार (arrested) या हिरासत (detained) में लिया गया है और वह उस अपराध का अभियुक्त (accused) या संदिग्ध (suspected) है। यह रिहाई बिना शर्त (unconditional) नहीं होती है — यह कुछ शर्तों पर दी जाती है, जैसे कि:

- आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होना,
- क्षेत्र न छोड़ना,
- सबूतों के साथ छेड़छाड़ (tampering) न करना या गवाहों से संपर्क न करना।

व्यक्ति को एक जमानत बांड (bail bond) पर हस्ताक्षर करना होगा या प्रतिभूति (surety) (गारंटी) प्रदान करनी होगी।

खंड (c): जमानतीय अपराध (Bailable offence):

- एक ऐसा अपराध (crime) जिसे कानून की पहली अनुसूची (First Schedule) में "जमानतीय" (bailable) के रूप में उल्लेखित किया गया है (उदाहरण के लिए, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita या CrPC), या
- एक ऐसा अपराध जिसे वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून द्वारा जमानतीय बनाया गया है।
- ऐसे अपराधों में, जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार (right) है।
- यदि व्यक्ति इसके लिए आवेदन करता है और धारा 478 BNSS/ 436 CrPC के तहत शर्तों से सहमत होता है, तो पुलिस या अदालत को जमानत देनी होगी।

गैर-जमानतीय अपराध का अर्थ है (A non-bailable offence means):

- कोई भी अन्य अपराध जिसे पहली अनुसूची या अन्य कानूनों में जमानतीय के रूप में वर्णित नहीं किया गया है।
- ऐसे मामलों में, जमानत अधिकार नहीं है।
- अपराध की गंभीरता और मामले के तथ्यों के आधार पर जमानत देने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार (discretion) अदालत के पास है।

खंड (d): जमानत बांड (Bail bond) यह एक लिखित वादा है जो कहता है:

- "मैं जमानत की सभी शर्तों का पालन करूंगा, और मैं (या मेरे साथ कोई) इसकी गारंटी देता हूं।"
- इसमें एक प्रतिभू (surety) शामिल होता है — कोई व्यक्ति (जैसे कोई दोस्त या रिश्तेदार) जो यह वादा करता है कि यदि अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो वे जिम्मेदार होंगे और उन्हें अदालत को पैसे देने पड़ सकते हैं।

खंड (e): बांड (Bond)

- बांड का अर्थ है कारावास से रिहा हो रहे व्यक्ति द्वारा किया गया एक व्यक्तिगत वादा कि:
- "मैं जमानत की सभी शर्तों का पालन करूंगा और आवश्यकता पड़ने पर अदालत में आऊंगा।"
- मुख्य बात यह है कि किसी प्रतिभू (surety) की आवश्यकता नहीं होती है।

- व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति (प्रतिभू) से हस्ताक्षर करवाने या कुछ भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह एक व्यक्तिगत बांड (personal bond) है, जिसे स्व-बांड (self-bond) भी कहा जाता है।
- व्यक्ति से जमानत के नियमों को तोड़ने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करने के लिए कहा जा सकता है — लेकिन रिहाई के समय कोई भुगतान नहीं किया जाता हैं।

खंड (f): आरोप (Charge)

- "आरोप" (charge) अदालत (या जांच के दौरान पुलिस) द्वारा दिया गया एक आधिकारिक बयान (official statement) है कि:
  - ✓ "आपने एक विशेष अपराध किया है, और तो आप पर इसके लिए क़ानूनी कार्यवाही होगी।"
  - ✓ यह एक आपराधिक मुकदमे (criminal trial) का प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ अभियुक्त को यह बताया जाता है कि उन पर किन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।
  - ✓ **"एक से अधिक आरोप शीर्ष" (more than one head of charge) का क्या अर्थ है?**
  - ✓ जब किसी व्यक्ति पर एक ही मामले में एक से अधिक अपराधों का आरोप लगाया जाता है, तो प्रत्येक अपराध को मुख्य आरोप के तहत एक अलग "शीर्ष" (head) माना जाता है।
  - ✓ प्रत्येक "आरोप का शीर्ष" (head of charge) कानून की एक अलग धारा की तरह है जिसके तहत व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है।
- **उदाहरण (Example for Better Understanding):**
  - ✓ मान लीजिए रमेश नामक व्यक्ति पर आरोप है:
    - चोरी (Theft) – धारा 303(2) BNS
    - गृह अतिचार (House Trespass) – धारा 332 (C) BNS
    - स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (Voluntarily Causing Hurt) – धारा 115(2)
- आरोप पत्र (charge sheet) में शामिल है:
  - ✓ "रमेश पर धारा 303(2) BNS, धारा 332 (C) BNS, और 323 के तहत आरोप लगाया गया है।"
  - ✓ इस एक आरोप पत्र में तीन "आरोप के शीर्ष" (heads of charge) हैं, क्योंकि इसमें तीन अलग-अलग कानूनी आरोप शामिल हैं।
- **इसलिए, जब कानून कहता है:**
  - ✓ "आरोप में कोई भी आरोप का शीर्ष शामिल है जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों," इसका मतलब है कि "आरोप" (charge) शब्द का उल्लेख हो सकता है:
    - अपराधों की पूरी सूची के लिए, **या**
    - उस सूची में से किसी एक अपराध के लिए

खंड (g): संज्ञेय अपराध (Cognizable offence):

- एक ऐसा मामला जिसमें संज्ञेय अपराध (cognizable offence) शामिल हो, जहाँ पुलिस अदालत की अनुमति के बिना तत्काल कार्यवाही कर सकती है — जैसे गिरफ्तारी (arrest) या जांच (investigation)।

खंड (h): परिवाद (Complaint):

- किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट (Magistrate) से मौखिक (orally) या लिखित (in writing) रूप से किया गया कोई भी अभिकथन, जिसमें यह कहा गया हो कि किसी ने अपराध किया है, और मजिस्ट्रेट से कानून के तहत कार्यवाही करने के लिए कहा गया हो।
- यह किसी ज्ञात (known) या अज्ञात (unknown) व्यक्ति के बारे में हो सकता है।
- इसमें पुलिस रिपोर्ट (police report) शामिल नहीं है (यानी, यह पुलिस द्वारा दायर की गई FIR नहीं है)।
- **स्पष्टीकरण (Explanation):** आम तौर पर, परिवाद का मतलब है कि एक व्यक्ति (पुलिस नहीं) मजिस्ट्रेट के पास जाता है और कहता है कि किसी ने अपराध किया है।
- लेकिन यह स्पष्टीकरण एक विशेष नियम जोड़ता है:

  यदि:

  - ✓ पुलिस किसी मामले की जांच करती है, और
  - ✓ जांच के बाद, वे पाते हैं कि एक असंज्ञेय अपराध (non-cognizable offence) (यानी, एक कम गंभीर अपराध जहां पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती) किया गया है, और
  - ✓ पुलिस तब मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट सौंपती है, **तो** उस रिपोर्ट को एक परिवाद (complaint) की तरह ही माना जाएगा, और जो पुलिस अधिकारी इसे प्रस्तुत करता है उसे परिवादी (complainant) माना जाएगा।

उदाहरण (Example):

1. एक व्यक्ति एक छोटी धोखाधड़ी (minor fraud) (एक असंज्ञेय अपराध) के बारे में पुलिस में FIR दर्ज कराता है। पुलिस जांच करती है और एक अंतिम रिपोर्ट (final report) तैयार करती है। यदि रिपोर्ट कहती है: "हाँ, यह धोखाधड़ी हुई है। तो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार:
   - ✓ वह रिपोर्ट = एक परिवाद (complaint)।
   - ✓ वह पुलिस अधिकारी = परिवादी (complainant)।

खंड (i): इलेक्ट्रॉनिक संचार (Electronic communication)

इसका अर्थ है फोन, कंप्यूटर या कैमरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कुछ भी (पाठ (text), आवाज (voice), छवि (image), वीडियो) भेजना या प्राप्त करना।

उदाहरण: आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं, आप अपने फोन पर किसी को कॉल करते हैं, एक CCTV कैमरा एक कंट्रोल रूम में लाइव वीडियो भेजता है, आप अपने लैपटॉप से अपने अधिकारी को ईमेल करते हैं।

खंड (j): उच्च न्यायालय (High Court)

उच्च न्यायालय का अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं — एक राज्य (State) या एक केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory)।